

कार्यालय – जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चमोली

पत्रांक/ बेसिक सेवायें/ **2781-86**/ वार्षिक स्थानान्तरण /2026-27 दिनांक **29** अगस्त 2026

सेवा में – पोर्टल प्रभारी
एजुकेशन पोर्टल
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड
देहरादून।

विषय— उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत स्थानान्तरण आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 410893/XXIV-B-1/2026/13(12)2011TC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 दिनांक 07 जुलाई 2026 तथा महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून के कार्यालय पत्र संख्या/सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10 जुलाई 2026 के अनुपालन में स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17(1)(ख) के अन्तर्गत (एक) से (पांच) में वर्णित प्राविधानों के आलोक में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण प्रक्रिया सम्पन्न की जानी है। जनपद के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा में कार्यरत अध्यापक-अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हैं।

अतः जनपद के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापकों के स्थानान्तरण आदेश आपको इस निवेदन के साथ प्रेषित किये जा रहे हैं, कि उन्हें विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करेंगे।

संलग्न – यथोपरि।

Digitally signed by
PANKAJ KUMAR UPRETI
Date: 29-08-2026
11:29:21

भवदीय
(पंकज कुमार उप्रेती)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
चमोली।

पृ0सं0/ बेसिक सेवायें/ **2781-86**/ वार्षिक स्थानान्तरण /2026-27 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रा0शि0, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 4- मुख्य विकास अधिकारी, चमोली।
- 5- मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली।

(पंकज कुमार उप्रेती)
जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
चमोली।

कार्यालय- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चमोली 27
आदेश संख्या/स्था0बेसिक/228/अनुरोध स्थाना0 स0अ0 उच्च प्राथमिक/2026-27 दिनांक अगस्त 2026
"कार्यालय ज्ञाप स्थानान्तरण आदेश"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 (1) के अन्तर्गत गठित जनपदीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति एवं स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-13 में निहित प्राविधानों के अनुसार तथा कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या/410684/XXX-(2)/2026-E 26941 दिनांक 06 जुलाई 2026, शासनादेश संख्या: 410893/XXIV-B-1/2026/13(12) / 2011 /TC-1 दिनांक 07 जुलाई 2026 एवं महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा के कार्यालय पत्रांक/सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/ 2026-27 दिनांक 10 जुलाई 2026 के क्रम में निम्नांकित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का स्वयं के अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण मानकानुसार निम्नवत स्तम्भ-05 में अंकित विद्यालय में किया जाता है।

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्र0अ0 उच्च प्राथमिक धारा 13 (6)					
1	श्री गिरीश चन्द्र मैखुरी	प्र0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 लासी, दशोली	रा0उ0प्रा0वि0 नैलकुड़ाव, दशोली	रिक्त पद के प्रति
2	श्रीमती रेखा कोहली	प्र0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 सैती, नन्दानगर	रा0उ0प्रा0वि0 भकुण्डा, कर्णप्रयाग	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरित शिक्षक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर नवीन कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (2) यदि किसी शिक्षक के स्थानान्तरण के फलस्वरूप कोई विद्यालय शिक्षक विहीन हो रहा हो सम्बन्धित शिक्षक उक्त विद्यालय में प्रतिस्थानी की तैनाती होने तक कार्यमुक्त नहीं होंगे।
- (3) यदि स्थानान्तरित होने वाले शिक्षक निर्वाचन/एस0आई0आर0/बी0एल0ओ0 कार्य में योजित हों तो वे एस0आई0आर0 का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित ई0आर0ओ0/ए0ई0आर0ओ0 की पूर्वानुमति के उपरान्त ही विद्यालय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
- (4) स्थानान्तरित होने वाले जो शिक्षक जनगणना-2026 कार्य में योजित हैं, वे सम्बन्धित चार्ज अधिकारी को स्थानान्तरण की लिखित सूचना उपलब्ध करवाने के उपरान्त ही कार्यमुक्त हो सकेंगे।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश/बाध्य प्रतीक्षा अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (6) स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-24 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (7) स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित /टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

(पंकज कुमार उप्रेती)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0

जनपद-चमोली

पृ0सं0/स्था0बेसिक/2707-15/अनुरोध स्थाना0 स0अ0 उच्च प्राथमिक/2026-27 दिनांक-उक्तवत।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3 जिलाधिकारी महोदय, चमोली।
- 4 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 5 मुख्य विकास अधिकारी/अध्यक्ष स्थानान्तरण समिति, चमोली।
- 6 मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली।
- 7 सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी जनपद चमोली।
- 8 जिला परियोजना अधिकारी, स0शि0अ0 चमोली।
- 9 समस्त उप शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा जनपद चमोली को इस आशय से कि उक्त आदेश सम्बन्धित शिक्षक को तामील कराते हुए
- 10 सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका (द्वारा-उ0शि0अ0, प्रा0शि0)
- 11 सम्बन्धित शिक्षक (द्वारा-उ0शि0अ0, प्रा0शि0)
- 12 गार्ड फाइल।

(पंकज कुमार उप्रेती)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0

जनपद-चमोली

कार्यालय- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चमोली

आदेश संख्या/स्था0बेसिक/229/अनुरोध स्थाना0 स0अ0 उच्च प्राथमिक/2026-27 दिनांक 27 अगस्त 2026

"कार्यालय ज्ञाप स्थानान्तरण आदेश"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 (1) के अन्तर्गत गठित जनपदीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति एवं स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-13 में निहित प्राविधानों के अनुसार तथा कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या/410884/XXX-(2)/2026-E 26941 दिनांक 08 जुलाई 2026, शासनादेश संख्या: 410893/XXIV-B-1/2026/13(12) / 2011 /TC-1 दिनांक 07 जुलाई 2026 एवं महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा के कार्यालय पत्रांक/सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/ 2026-27 दिनांक 10 जुलाई 2026 के क्रम में निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिका राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का स्वयं के अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण मानकानुसार निम्नवत स्तम्भ-05 में अंकित विद्यालय में किया जाता है।

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स0अ0 उच्च प्राथमिक धारा 13(3)					
1	श्री लक्ष्मण सिंह	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 लामबगड़, ज्योतिर्मठ	रा0उ0प्रा0वि0 चाई, ज्योतिर्मठ	रिक्त पद के प्रति
स0अ0 उच्च प्राथमिक धारा 13 (4)					
1	श्री दिगम्बर लाल	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 मटियाला, गैरसैण	रा0उ0प्रा0वि0 पठियालघार, दशोली	रिक्त पद के प्रति
2	श्री प्रदीप सिंह गड़िया	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 बाँक, देवाल	रा0उ0प्रा0वि0 आला जोखना, नन्दानगर	रिक्त पद के प्रति
3	श्री आशा राम टम्टा	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 फरकण्डे, गैरसैण	रा0उ0प्रा0वि0. बैनोली, कर्णप्रयाग	रिक्त पद के प्रति
स0अ0 उच्च प्राथमिक धारा 13 (6)					
1	श्री राजेन्द्र सिंह	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 तोणजी, पोखरी	रा0उ0प्रा0वि0 जौरासी, पोखरी	रिक्त पद के प्रति
2	श्री अवतार सिंह रावत	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 बैनोली, थराली	रा0उ0प्रा0वि0 रेई, नारायणबगड	रिक्त पद के प्रति
3	श्री गिरीश चन्द्र	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 बमियाला, नारायणबगड	रा0उ0प्रा0वि0 हरमनी, नारायणबगड	रिक्त पद के प्रति
4	श्री विजय मोहन सिंह नेगी	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 नौगाँव, गैरसैण	रा0उ0प्रा0वि0 सिराणा, गैरसैण	रिक्त पद के प्रति
5	श्रीमती बीना रावत	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 नाखोली, नारायणबगड	रा0उ0प्रा0वि0 असेड, नारायणबगड	रिक्त पद के प्रति
6	श्री बीरेन्द्र सिंह साह	स0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 कण्डारीखोड़, गैरसैण	रा0उ0प्रा0वि0 डुमक, ज्योतिर्मठ	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरित शिक्षक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर नवीन कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (2) यदि किसी शिक्षक के स्थानान्तरण के फलस्वरूप कोई विद्यालय शिक्षक विहीन हो रहा हो सम्बन्धित शिक्षक उक्त विद्यालय में प्रतिस्थानी की तैनाती होने तक कार्यमुक्त नहीं होंगे।
- (3) यदि स्थानान्तरित होने वाले शिक्षक निर्वाचन/एस0आई0आर0/बी0एल0ओ0 कार्य में योजित हों तो वे एस0आई0आर0 का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित ई0आर0ओ0/ए0ई0आर0ओ0 की पूर्वानुमति के उपरान्त ही विद्यालय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।

- (4) स्थानान्तरित होने वाले जो शिक्षक जनगणना-2026 कार्य में योजित हैं, वे सम्बन्धित चार्ज अधिकारी को स्थानान्तरण की लिखित सूचना उपलब्ध करवाने के उपरान्त ही कार्यमुक्त हो सकेंगे।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश/बाध्य प्रतीक्षा अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (6) स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-24 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (7) स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित / टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

(पंकज कुमार उप्रेती)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0

जनपद-चमोली

पू0सं0/स्था0बेसिक/2416-24/अनुरोध स्थाना0 स0अ0 उच्च प्राथमिक/2026-27 दिनांक-उक्तवत।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3 जिलाधिकारी महोदय, चमोली।
- 4 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 5 मुख्य विकास अधिकारी/अध्यक्ष स्थानान्तरण समिति, चमोली।
- 6 मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली।
- 7 सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी जनपद चमोली।
- 8 जिला परियोजना अधिकारी, स0शि0अ0 चमोली।
- 9 समस्त उप शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा जनपद चमोली को इस आशय से कि उक्त आदेश सम्बन्धित शिक्षक को तामील कराते हुए उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 10 सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका (द्वारा-उ0शि0अ0, प्रा0शि0)
- 11 सम्बन्धित शिक्षक (द्वारा-उ0शि0अ0, प्रा0शि0)
- 12 गार्ड फाइल।

(पंकज कुमार उप्रेती)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0

जनपद-चमोली

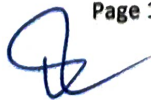
कार्यालय- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चमोली 27

आदेश संख्या/स्था0बेसिक/231/अनुरोध स्थाना0 स0अ0 प्राथमिक/2026-27 दिनांक अगस्त 2026

“कार्यालय ज्ञाप स्थानान्तरण आदेश”

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 (1) के अन्तर्गत गठित जनपदीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति एवं स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-13 में निहित प्राविधानों के अनुसार तथा कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या/410684/XXX-(2)/2026-E 26941 दिनांक 06 जुलाई 2026, शासनादेश संख्या: 410893/XXIV-B-1/2026/13(12) / 2011 /TC-1 दिनांक 07 जुलाई 2026 एवं महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा के कार्यालय पत्रांक/सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/ 2026-27 दिनांक 10 जुलाई 2026 के क्रम में निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय का स्वयं के अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण मानकानुसार निम्नवत स्तम्भ-05 में अंकित विद्यालय में किया जाता है।

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स0अ0 प्राथमिक धारा 13(3)					
1	श्री बीरेन्द्र लाल	स0अ0	रा0प्रा0वि0 पिण्डवाली तल्ली, गैरसैण	रा0प्रा0वि0 डुंग्री, दशोली	रिक्त पद के प्रति
2	श्रीमती लक्ष्मी नेगी	स0अ0	रा0प्रा0वि0 खेत, गैरसैण	रा0प्रा0वि0 दियारकोट, कर्णप्रयाग	रिक्त पद के प्रति
3	श्री बीरेन्द्र शाह	स0अ0	रा0प्रा0वि0 भटियाणा, नारायणबगड	रा0प्रा0वि0 मुनियाली-जेलम, ज्योतिर्मठ	रिक्त पद के प्रति
4	श्रीमती विजय लक्ष्मी	स0अ0	रा0प्रा0वि0 धरातल्ला, देवाल	रा0प्रा0वि0 कुकडई, कर्णप्रयाग	रिक्त पद के प्रति
5	श्रीमती कविता तोपाल	स0अ0	रा0प्रा0वि0 मोपाटा, देवाल	रा0प्रा0वि0 विशाल, पोखरी	रिक्त पद के प्रति
6	श्रीमती उषा नेगी	स0अ0	रा0प्रा0वि0 पगना, दशोली	रा0प्रा0वि0 पीपलकोटी, दशोली	रिक्त पद के प्रति
7	श्रीमती प्रमिला रावत	स0अ0	रा0प्रा0वि0 मलारी देवलीबगड, ज्योतिर्मठ	रा0प्रा0वि0 गोलिम, दशोली	रिक्त पद के प्रति
8	श्रीमती बीना कोहली	स0अ0	रा0प्रा0वि0 द्वींग तपोण, ज्योतिर्मठ	रा0प्रा0वि0 तोप, कर्णप्रयाग	रिक्त पद के प्रति
9	श्रीमती ममता शाह	स0अ0	रा0प्रा0वि0 ल्वाणी, देवाल	रा0प्रा0वि0 सुनाली, कर्णप्रयाग	रिक्त पद के प्रति
10	श्रीमती हेमा बिष्ट	स0अ0	रा0प्रा0वि0 गिवाईगैर, देवाल	रा0प्रा0वि0 करुडपानी, थराली	रिक्त पद के प्रति
11	श्री प्रकाश सिंह	स0अ0	रा0प्रा0वि0 मुन्दोली, देवाल	रा0प्रा0वि0 कुलसारी-ब, थराली	रिक्त पद के प्रति
12	श्रीमती अनीता सती	स0अ0	रा0प्रा0वि0 किमोठा, पोखरी	रा0प्रा0वि0 नखोलियाना, पोखरी	रिक्त पद के प्रति
13	श्री देवेन्द्र सिंह	स0अ0	रा0प्रा0वि0 नौना बनाला, नन्दानगर	रा0प्रा0वि0 फरकिया थिरपाक, ज्योतिर्मठ	रिक्त पद के प्रति
14	श्री देव सिंह	स0अ0	रा0प्रा0वि0 कुनकुली, दशोली	रा0प्रा0वि0 स्वींग बिजराकोट, दशोली	रिक्त पद के प्रति
15	श्रीमती निर्मला थपलियाल	स0अ0	रा0प्रा0वि0 बौणा, दशोली	रा0प्रा0वि0 क्षेत्रपाल, दशोली	रिक्त पद के प्रति
16	श्रीमती अनीता राणा	स0अ0	रा0प्रा0वि0 फाली, नन्दानगर	रा0प्रा0वि0 सल्ला कम्यार, दशोली	रिक्त पद के प्रति
17	श्रीमती ललिता पंखोली	स0अ0	रा0प्रा0वि0 हेलंग 1, ज्योतिर्मठ	रा0प्रा0वि0 देवखाल, दशोली	रिक्त पद के प्रति
18	श्री सुशील सिंह	स0अ0	रा0प्रा0वि0 भौरधार, नन्दानगर	रा0प्रा0वि0 भैंसवाडा-1, नन्दानगर	रिक्त पद के प्रति
स0अ0 प्राथमिक धारा 17 ख (3)					
1	श्री पुष्कर सिंह सजवाण	स0अ0	रा0प्रा0वि0 संगूड, पोखरी	रा0प्रा0वि0 किलौण्डी नारायण, दशोली	रिक्त पद के प्रति
स0अ0 प्राथमिक धारा 13 (4)					
1	श्रीमती रंजू देवी	स0अ0	रा0प्रा0वि0 बैरासकुण्ड, नन्दानगर	रा0प्रा0वि0 लासी, दशोली	रिक्त पद के प्रति
2	श्री विनोद कुमार	स0अ0	रा0प्रा0वि0 रणकोट, थराली	रा0प्रा0वि0 देवलगवाड, थराली	रिक्त पद के प्रति
3	श्री अरुण सिंह	स0अ0	रा0प्रा0वि0 देवसारी मल्ला, देवाल	रा0प्रा0वि0 सुन्दरगांव, कर्णप्रयाग	रिक्त पद के प्रति
4	श्री नरेन्द्र सिंह	स0अ0	रा0प्रा0वि0 आली मज्याड़ी, गैरसैण	रा0प्रा0वि0 कांसुवा, गैरसैण	रिक्त पद के प्रति



क्र.सं.	शिक्षक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल	अभ्युक्ति
5	श्री रजत खत्री	स0अ0	रा0प्रा0वि0 रामड़ा तल्ला, गैरसैण	रा0प्रा0वि0 मूसों, गैरसैण	रिक्त पद के प्रति
6	श्री राहुल डिमरी	स0अ0	रा0प्रा0वि0 दादड़, दशोली	रा0प्रा0वि0 धरगांव-2, नन्दानगर	रिक्त पद के प्रति
7	श्रीमती अचला हटवाल	स0अ0	रा0प्रा0वि0 मटई, नन्दानगर	रा0प्रा0वि0 टंगसा, दशोली	रिक्त पद के प्रति
स0अ0 प्राथमिक धारा 13 (6)					
1	श्री कृष्ण चन्द्र	ज्योतिर्मठ	रा0प्रा0वि0 लामबगड़, ज्योतिर्मठ	रा0प्रा0वि0 पाण्डुकेश्वर, ज्योतिर्मठ	रिक्त पद के प्रति
2	श्रीमती आशा बिष्ट	गैरसैण	रा0प्रा0वि0 ढमकर, गैरसैण	रा0प्रा0वि0 भलसों, गैरसैण	रिक्त पद के प्रति
3	श्रीमती इन्द्रा नेगी	गैरसैण	रा0प्रा0वि0 गड़ोध, गैरसैण	रा0प्रा0वि0 मेहलचौरी, गैरसैण	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरित शिक्षक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर नवीन कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (2) यदि किसी शिक्षक के स्थानान्तरण के फलस्वरूप कोई विद्यालय शिक्षक विहीन हो रहा हो सम्बन्धित शिक्षक उक्त विद्यालय में प्रतिस्थानी की तैनाती होने तक कार्यमुक्त नहीं होंगे।
- (3) यदि स्थानान्तरित होने वाले शिक्षक निर्वाचन/एस0आई0आर0/बी0एल0ओ0 कार्य में योजित हों तो वे एस0आई0आर0 का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित ई0आर0ओ0/ए0ई0आर0ओ0 की पूर्वानुमति के उपरान्त ही विद्यालय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
- (4) स्थानान्तरित होने वाले जो शिक्षक जनगणना-2026 कार्य में योजित हैं, वे सम्बन्धित चार्ज अधिकारी को स्थानान्तरण की लिखित सूचना उपलब्ध करवाने के उपरान्त ही कार्यमुक्त हो सकेंगे।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश/बाध्य प्रतीक्षा अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (6) स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-24 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (7) स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित /टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

(पंकज कुमार उप्रेती)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0

जनपद-चमोली

2735-44

पू0सं0/स्था0बेसिक/ /अनुरोध स्थाना0 स0अ0 प्राथमिक/2026-27 दिनांक-उक्तवत।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3 जिलाधिकारी महोदय, चमोली।
- 4 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 5 मुख्य विकास अधिकारी/अध्यक्ष स्थानान्तरण समिति, चमोली।
- 6 मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली।
- 7 सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी जनपद चमोली।
- 8 जिला परियोजना अधिकारी, स0शि0अ0 चमोली।
- 9 समस्त उप शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा जनपद चमोली को इस आशय से कि उक्त आदेश सम्बन्धित शिक्षक को तामील कराते हुए उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 10 सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका (द्वारा-उ0शि0अ0, प्रा0शि0)
- 11 सम्बन्धित शिक्षक (द्वारा-उ0शि0अ0, प्रा0शि0)
- 12 गार्ड फाइल।

(पंकज कुमार उप्रेती)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0

जनपद-चमोली

कार्यालय- जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, चमोली

आदेश संख्या/स्था0बेसिक/230/अनुरोध स्थाना0 प्र0अ0 प्राथमिक/2026-27 दिनांक 27 अगस्त 2026

"कार्यालय ज्ञाप स्थानान्तरण आदेश"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16 (1) के अन्तर्गत गठित जनपदीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति एवं स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-13 में निहित प्राविधानों के अनुसार तथा कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या/410884/XXX-(2)/2026-E 26941 दिनांक 06 जुलाई 2026, शासनादेश संख्या: 410893/XXIV-B-1/2026/13(12) / 2011 /TC-1 दिनांक 07 जुलाई 2026 एवं महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा के कार्यालय पत्रांक/सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/ 2026-27 दिनांक 10 जुलाई 2026 के क्रम में निम्नांकित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय का स्वयं के अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण मानकानुसार निम्नवत स्तम्भ-05 में अंकित विद्यालय में किया जाता है।

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्र0अ0 प्राथमिक धारा 13(3)					
1	श्रीमती नीलम	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 मोखमल्ला, नन्दानगर	रा0प्रा0वि0 कुहेड, दशोली	रिक्त पद के प्रति
2	श्रीमती गणेशी केशवानी	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 बणसोली-2, कर्णप्रयाग	रा0प्रा0वि0 ईडा बधाणी, कर्णप्रयाग	रिक्त पद के प्रति
3	श्री विवेक सिंह नेगी	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 दुर्मी, दशोली	रा0प्रा0वि0 टंगसा, दशोली	रिक्त पद के प्रति
4	श्रीमती सती कण्डेरी	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 कण्डारीगांव, पोखरी	रा0प्रा0वि0 सिवाई, पोखरी	रिक्त पद के प्रति
5	श्रीमती बबीता चौधरी	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 बदियासेम, गैरसैण	रा0प्रा0वि0 गडोली, गैरसैण	रिक्त पद के प्रति
6	श्रीमती नीला	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 कनख्वाली, गैरसैण	रा0प्रा0वि0 आदिबद्री, गैरसैण	रिक्त पद के प्रति
7	श्रीमती रेखा भण्डारी	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 खालबजेठा, पोखरी	रा0प्रा0वि0 आलीशाल, पोखरी	रिक्त पद के प्रति
8	श्रीमती मंजू ध्यानी	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 सारकोट, गैरसैण	रा0प्रा0वि0 सिमली, गैरसैण	रिक्त पद के प्रति
प्र0अ0 प्राथमिक धारा 13 (4)					
1	श्रीमती सरोजनी देवराडी	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 धारकोट, थराली	रा0प्रा0वि0 सूना, थराली	रिक्त पद के प्रति
प्र0अ0 प्राथमिक धारा 13(6)					
1	श्री कुँवर सिंह गड़िया	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 ब्यारा, दशोली	रा0प्रा0वि0 कोटेश्वर, दशोली	रिक्त पद के प्रति
2	श्रीमती लक्ष्मी रावत	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 ग्वाई, नन्दानगर	रा0प्रा0वि0 भीडलगगा गडोरा, दशोली	रिक्त पद के प्रति
3	श्री नलिन सिंह रावत	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 पाखी, ज्योतिर्मठ	रा0प्रा0वि0 नीति कौडिया, ज्योतिर्मठ	रिक्त पद के प्रति
4	श्री विजय कुमार वशिष्ठ	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 बाँली, दशोली	रा0प्रा0वि0 बणद्वारा, दशोली	रिक्त पद के प्रति
5	श्री जगत सिंह कण्डारी	प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 भतंग्याला, दशोली	रा0प्रा0वि0 खलतरा, नन्दानगर	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरित शिक्षक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर नवीन कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- (2) यदि किसी शिक्षक के स्थानान्तरण के फलस्वरूप कोई विद्यालय शिक्षक विहीन हो रहा हो सम्बन्धित शिक्षक उक्त विद्यालय में प्रतिस्थानी की तैनाती होने तक कार्यमुक्त नहीं होंगे।

- (3) यदि स्थानान्तरित होने वाले शिक्षक निर्वाचन/एस0आई0आर0/बी0एल0ओ0 कार्य में योजित हों तो वे एस0आई0आर0 का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित ई0आर0ओ0/ए0ई0आर0ओ0 की पूर्वानुमति के उपरान्त ही विद्यालय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
- (4) स्थानान्तरित होने वाले जो शिक्षक जनगणना-2026 कार्य में योजित हैं, वे सम्बन्धित चार्ज अधिकारी को स्थानान्तरण की लिखित सूचना उपलब्ध करवाने के उपरान्त ही कार्यमुक्त हो सकेंगे।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश/बाध्य प्रतीक्षा अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (6) स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-24 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (7) स्थानान्तरित शिक्षक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित /टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

(पंकज कुमार उप्रेती)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0

जनपद-चमोली

पू0सं0/स्था0बेसिक/ 2725-34/अनुरोध स्थाना0 प्र0अ0 प्राथमिक/2026-27 दिनांक-उक्तवत।

- 1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3 जिलाधिकारी महोदय, चमोली।
- 4 अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 5 मुख्य विकास अधिकारी/अध्यक्ष स्थानान्तरण समिति, चमोली।
- 6 मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली।
- 7 सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी जनपद चमोली।
- 8 जिला परियोजना अधिकारी, स0शि0अ0 चमोली।
- 9 समस्त उप शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा जनपद चमोली को इस आशय से कि उक्त आदेश सम्बन्धित शिक्षक को तामील कराते हुए उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 10 सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका (द्वारा-उ0शि0अ0, प्रा0शि0)
- 11 सम्बन्धित शिक्षक (द्वारा-उ0शि0अ0, प्रा0शि0)
- 12 गार्ड फाइल।

(पंकज कुमार उप्रेती)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0

जनपद-चमोली